जनजातीय महिलाओं की सामजिक दशा

श्रीमती सोनू जैन सहा.प्राध्यापक (इतिहास) शा.स्नातकोत्तर महाविद्यालय,गुना(म.प्र.)
Email- imsonu76@gmail.com Mobile - 8787202619

सारांश –

भारतीय जनजातियों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विरासत उन्हें शेष समाज से विशिष्टता प्रदान करती है। भारत सरकार द्वारा जनजातीय संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए उन्हें संवैधानिक स्तर पर विशेष व्यवस्था प्रदान की है। जनजातियों का विस्तार भारत के पूर्वोत्तर से लेकर भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में न्यूनाधिक रूप से प्राप्त होता है। इस समाज में पुरूषों के साथ–साथ महिलाओं का भी विशेष स्थान है। कुछ जनजातियां जहां मातृ सत्तामक होने के कारण पुरूषों को नेतृत्व प्रदान करती है। वहीं कुछ जनजातियों में उनकी दशा अपेक्षाकृत निम्न है।

आदिवासी समाज में स्त्रियों की शिक्षा, विवाह उनके आर्थिक अधिकार उनका हस्तशिल्प एवं कृषि, धार्मिक अधिकार विमर्श के विषय रहे है। समाज की प्रगति में महिलाओं का योगदान निश्चित ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इसके बावजूद भी आदिवासी समाज में महिलाओं का उत्पीड़न चिंतनीय है। हालांकि इसे रोकने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाये जाते है लेकिन फिर भी मुखरता के साथ इनके उत्पीड़न को रोकने की आवश्यकता है। जो क्रमशः जनजातीय के सशक्तीकरण करने में सफल होगी।

Keywords(कुंजी) –परिवीक्षाधीन विवाह, अर्न्तविवाह, मातृसत्तात्मक समाज, कन्या मूल्य, दादा–पोती विवाह, युवागृह

प्रस्तावना–

जनजातीय संस्कृति प्रकृति की गोद में स्वतंत्र रूप से विकसित हुई है जिसमें जनजातीय स्त्रियों को पुरूषों के समकक्ष प्रस्थिति प्रदान की गई तथा लैंगिक भेदभाव नहीं के बराबर रहा परन्तु वर्तमान समय में आयाम कुछ बदल रहे हैं। बाह्य हस्तक्षेप, जनजातीय क्षेत्रों में खनिजों का उद्भव, सांस्कृतिक सम्पर्क , अन्धानुकरण की प्रवृति ने जनजातीय समाज की स्त्रियों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। जनजातीय महिलाओं की स्थिति के बारे में एक सामान्य निष्कर्ष निकालना कठिन कार्य है। जनजातीय समाजों में इसमें पर्याप्त भिन्नता दिखाई देती है। सामान्यतः जनजातीय स्त्री पुरूषों का सन्तुलित लिंग अनुपात एक स्वस्थ और अनुकूल जन सामाजिक संरचना की ओर इशारा करता है। पूर्वोत्तर प्रदेश की कतिपय मातृवंशिक जनजातियों तथा उनके वे जातीय समूह, जो वर्तमान में भी पृथकत्व में जी रहे हैं उनके यहाँ स्त्रियों की सामाजिक दशा उच्च है। स्त्रियों के सन्दर्भ में किसी भी समाज की संरचना का आंकलन करने के लिये उनकी शिक्षा, अधिकार, विवाह, धर्म, रीति रिवाज, पहनावा भोजन आदि का अध्ययन बहुत जरूरी है। इन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी क्या है व कहाँ तक है, इसी को जानकार ही उनकी सामाजिक प्रस्थिति का आभास हो सकता है।

आदिवासी समाज की स्त्रियों में शिक्षा का स्तर नगण्य है। स्कूल स्तर की शिक्षा वर्तमान समय में कुछ जनजातीय समाजों में देखने को मिलती है। परन्तु उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली आदिवासी स्त्रियाँ गिनती की हैं। जैसे कि भील जनजाति, मीणा जनजाति जिनका बाहरी सम्पर्क अधिक होने से यहाँ की बच्चियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त तो कर रही हैं, परन्तु बहुत कम परिवारों में या कहें कि सभ्य जातियों के सम्पर्क या महानगरों एवं नगरों के पास जीवन यापन करने वाली जनजातियों में अपने परिवार की बालिका को शिक्षित करने के प्रमाण तो प्राप्त हो रहे हैं परन्तु उनकी पत्नियाँ अभी भी अशिक्षित हैं। यहाँ तक कि अनेक शिक्षित मीणा या अन्य जनजाति के युवकों द्वारा अपनी अशिक्षित पूर्व पत्नी के त्यागने तथा दूसरा विवाह करने के दृष्टांत भी देखे गये हैं जो कि स्त्रियों की स्थिति में बढ़ती गिरावट को दर्शाते हैं।, मोटिया, तंग्सा, नागा तथा कुकी आदि जनजातियाँ अधिक उम्र में विवाह के प्रतिमानों का पालन करती हैं लेकिन इस प्रकार की अधिकांश जनजातियाँ वे हैं जो भौगोलिक रूप से एकांत निवास स्थानों में रहती है तथा सांस्कृतिक सम्पर्क से कम प्रभावित हुई है।

विवाह :– जनजातीय समाजों में विवाह सामान्यतः सामाजिक समझौता माना जाता है। विवाह के लिये स्त्री की रजामंदी अत्यंत महत्वपूर्ण रहती है। अपवाद स्वरूप कुछ जनजातीय समाजों में होने वाले अपहरण तथा क्रय विवाह स्त्रियों की उन समाजों में निम्न प्रस्थिति की ओर संकेत करते हैं।

भील, गोड़ जनजातियाँ इसके ज्वलन्त उदाहरण के रूप में हैं।भारत के अनेक भागों में जनजातीय समाज में विवाह अत्यंत ही, साधारण रूप से सम्पन्न किया जाता है। असम की 'कुकी' तथ 'अरलंग' जनजातियों में परिवीक्षाधीन विवाह की प्रथा भी पाई जाती है तथा एक युवक को उसकी प्रेमिका के साथ रहने की अनुमति दी जाती है। यदि वे कई सप्ताह तक साथ रहने के बाद भी एक दूसरे को पसंद करते हैं तो उनका विवाह सम्पन्न कर दिया जाता है। अन्यथा युवक लड़की के माता–पिता को क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ धन देकर अपने घर वापस आ जाता है।

हिन्दुओं के निकट सम्पर्क में रहने वाली भारत वर्ष की जनजातियों में अर्न्तविवाही की प्रथा ही सामान्य रूप से पाई जाती है तथा गोत्र अर्न्तविवाही के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। टोड़ा जनजाति के दो गोत्र 'तारथरोल और तिवालियल अर्न्तविवाही समूह है। इसी प्रकार उजले भील और मैले भील भी अर्न्तविवाही के नियमों का पूर्णतया पालन करते हैं। अर्न्तविवाह वहीं पनपता है जहाँ सामाजिक श्रेष्ठता अथवा सामाजिक भेद–भाव विशेष महत्व रखते हैं।

भारतीय जनजातियों में सामान्यतः एक विवाह प्रणाली का ही प्रचलन है। परन्तु कुछ जनजातियों में मान, सम्मान, प्रतिष्ठा के प्रतीक के रूप में बहुपत्नि एवं बहुपति विवाह भी प्रचलन में है। जैसे नागा, गौंड, बैगा, टोडा, भोटिया, भील तथा मध्य भारत की कुछ जनजातियों में बहुपत्नी प्रथा पाई जाती हैं तथा तियान, टोडा, कोटा, खस एवं लदाकी बोरा जनजातियों में बहुपति प्रथा पाई जाती है। इस तरह के विवाह स्त्रियों की सामाजिक स्थिति पर प्रश्न उठाते हैं, इन विवाहों के कई दुष्परिणाम हैं जैसे स्त्रियों में गुप्त रोगों का बढ़ना, बाँझपन, कलह, विवाह विच्छेद स्त्रियों की सामाजिक प्रतिष्ठा को धक्का। गौंड जनजाति में दूध लौटावा विवाह प्रचलन में है जिसके तहत ममेरे, फुफेरे भाई–बहनों में विवाह आवश्यक माना गया है। नीलगिरि के टोडा आदिवासी भी इस तरह के विवाह को मान्यता देतें हैं।

आर्थिक अधिकार :–

जनजातीय स्त्रियों की सामाजिक स्थिति को पूर्ण रूप से समझने के लिये उसकी आर्थिक स्थिति एवं अधिकारों को समझना जरूरी है। आदिवासी स्त्रियाँ स्वयं में आत्मनिर्भर होती हैं और पुरूषों के कन्धे से कन्धा मिलाकर चलती हैं। आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में उत्पादन व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उनका योगदान एवं भागीदारी सराहनीय प्रतीत होती है। जनजातीय समाजों की अर्थव्यवस्था में स्त्रियों द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका सर्वत्र ही महत्वपूर्ण रही है। जनजातीय समाजों में आरम्भ में सम्पत्ति पर सामुदायिक स्वामित्व था अब परिवर्तन की प्रक्रिया में सम्पत्ति संबंधी अधिकार वर्तमान समय तक भी न्यूनाधिक मात्रा में परंपरागत रूप से निर्धारित होते हैं पितृसत्तात्मक समाज में पुरूषों को ही सम्पत्ति प्राप्त होती है, तो मातृसत्तात्मक समाज में माँ से पुत्री को। थारू जनजाति में पुरूष श्रमसाध्य कार्य करते है। तथा स्त्रियों को सर्वप्रथम अधिक उम्र वाली महिला को हुक्कापान करने के लिये दिया जाता था। पितृसत्तात्मक कुमाऊं तथा गढ़वाल की मोटान्तिक नारी तो अर्थव्यवस्था की सम्पूर्ण बागडोर अपने हाथ में लिये होती है। मातृसत्तात्मक खासी जनजाति में परिवार की सबसे छोटी पुत्री को परिवार की सम्पत्ति में सबसे अधिक हिस्सा प्राप्त होता है जैसे आवास, आभूषण स्त्रियों का सम्पत्ति पर समान अधिकार संबंधी कानून वर्तमान समय तक आदिवासी समाजों में अप्रभावी है।

सभ्य जातियों की भाँति जनजातियों में विवाह–विच्छेद अधिक जटिल न होकर सरल रूप में पाया जाता है और स्त्रीयों को पुरूषों की तरह समान अधिकार प्रथागत रूप से प्राप्त हैं। थारू जनजाति में एक पति के अत्याचार का प्रमाण या नपुसकंता उसकी पत्नी को तलाक प्रदान करने में सहायक हो जाता है। गारो जनजाति में तो कन्यामूल्य लौटाने से ही विवाह विच्छेद सम्पन्न हो जाता है।

विधवा विवाह :–

सामान्यतः जनजातीय समाजों में पति की मृत्यु के पश्चात पत्नि विवाह करने को स्वतंत्र रहती हैं। कुछ जनजातीय पितृपक्षीय समाजों में भाई भी मृत्यु के पश्चात मृत भाई की सम्पत्ति व पत्नी, बच्चे जीवित भाई को विरासत में मिलते हैं। उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह विधवा पत्नी के साथ सहवास करके परिवार को बढ़ाये इस सामाजिक व्यवस्था का आशय यह हुआ कि जनजातियों से विवाह समझौता भंग नहीं होता। कई बार स्त्री अपने पति के भाई साथ सहवास नहीं करना चाहती तो उसे मजबूर नहीं किया जाता है। वह किसी अन्य पुरूष के साथ भी रह सकती है। इस तरह की प्रथा जनजातियों में महिलाओं की उच्च सामाजिक दशा या विचार को दर्शाती है।

जनजातियों में कई बार देखा गया है कि स्त्री की मृत्यु होने पर स्त्री का पिता उसकी बहन से अपने दामाद का विवाह कर देता है। टायलर एवं फ्रेजर ने कई समाजों का अध्ययन करके बताया कि देवर व साली से पुरूष या स्त्री का विवाह कई समाजों में प्रचलित है। संथाल जनजाति में विधुर व विधवा परस्पर विवाह कर लेते हैं। मातृसत्तात्मक गारो जनजाति में एक दामाद अपनी विधवा सास से विवाह कर लेता है। जिससे कि दामाद का सास की सम्पत्ति पर अधिकार हो जाता है। गौंड लोगों में दादा व पोती के विवाह का प्रचलन है। लाखेर जनजाति में पिता अपने पुत्र की विधवा स्त्री से भी विवाह कर लेता है। लुशाई पर्वत पर रहने वाली सेमा नागा व लाखेर जनजाति में एक पुत्र अपनी सगी माँ को छोड़कर पिता की अन्य विधवा स्त्रियों (सौतेली माँ) से विवाह कर लेता है। क्योंकि इन जनजातियों में स्त्रियों का सम्पत्ति पर अधिकार होता है। अतः उनकी सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त करने के लिये ही ऐसा विवाह किया जाता है। जिसका उददेश्य यौन संबंध स्थापित करना नहीं वरन आर्थिक होता है। इस प्रकार कई जनजातीय समाजों में स्त्री को सम्पत्ति का दर्जा दिया गया है। जिसका हस्तान्तरण अन्य प्रकार की सम्पत्ति की तरह ही पिता से पुत्र को होता है। जनजातीय समाजों में स्त्रियों की सामाजिक दशा या पुत्रियों को मिले अधिकारों का पता उनकी परम्पराओं के तहत बनाये गये युवागृह से चलता है जहाँ युवक व युवतियों को समान अधिकार प्राप्त है। ये गृह सामाजिक तथा धार्मिक क्रियाओं के केन्द्र हैं जो शिक्षण संस्था, उचित संगठन, जीवनसाथी की तलाश के केन्द्र होता है। ये गाँव की चौपाल का भी कार्य करते हैं। इनमें जनजातीय युवक–युवती 11 या 12 वर्ष के बाद जाना प्रारंभ करते हैं तथा मनचाहा जीवनसाथी प्राप्त कर लेने के बाद इसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। ये युवागृह उरांव, माडिया, मुडिया, रिहोर, खोंड, भुइयाँ, सवारा आदि अधिकांशता जनजातियों में पाये जाते हैं। जिन्हें घोटुल, गिरिओरा, रंगबंग, धनगरवासा आदि नामों से जाने जाता हैं। ये समानता के सिद्धांत के आधार पर निर्मित होते हैं। प्रत्येक सदस्य का एक दूसरे पर समान रूप से अधिकार होता है। जनजातीय स्त्रियाँ समाज में रहकर हस्तशिल्प के कार्यों में अपनी उत्कृष्ट भूमिका निभाती हैं। आमतौर पर यह कार्य अपने समुदाय की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु किया जाता है तथा साथ ही विक्रय भी किया जाता है।

Tribal women in India में प्रकाशित Vimal Kumar Gupta ने अपने लेख Tribal-women in North eastern India में मणिपुर तथा मेघालय की आदिवासी स्त्रियाँ व्यापार के क्षेत्र में 99% व्यस्त रहती हैं। मेघालय में इन्हें कहीं पर सर पर सामान रखकर बेचते देखा जा सकता है। लेनदेन संबंधी मामलों में यदि पुरूष मूल्यों में कमी अथवा वृद्धि करना चाहे तो वे स्त्रियों की राय लेना आवश्यक समझते हैं। इस प्रकार स्त्रियों द्वारा निर्मित वस्तुयें उनके समाज में उन्हें पूर्ण रूप से सम्मान एवं मान्यता प्रदान करती है।

जनजातीय हस्तशिल्प एवं कृषि में स्त्रियाँ :–

आदिवासी स्त्रियाँ खाद्य संकलक, उन्नत आखेटक, पौध उत्पादक, घुमक्कड़ सामग्रियों की निर्माता रूप में जानी जाती है। यथा माडिया तथा गोंड जनजाति की स्त्रियाँ जंगली उपजों से स्प्रिट निकालने का कार्य करती हैं। साओरा, खोंड तथा गोंड जनजाति की स्त्रियाँ धातु शोधन, कताई, बुनाई, पात्र निर्माण आदि का कार्य करती है। कोरवा, अंगरिया लोह का काम, थारू स्त्रियाँ बाध यंत्र, रस्सी, चटाई, निर्माण करती हैं। असमी जनजातीय स्त्रियाँ वस्त्र निर्माण कर स्वयं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती है। वही भोटिया स्त्रियाँ कालीन, गलीचे एवं ऊनी वस्त्रों के निर्माण में अत्यधिक निपुण है। जनजातीय हस्तशिल्प के क्षेत्र में स्त्रियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इनके हस्तशिल्प निर्माण में कलात्मक अभिव्यक्ति के साथ–साथ एक अटूट विश्वास की झलक दिखाई देती है। जनजाति के लोग वस्तुओं का निर्माण अने समुदाय की आवश्यकता पूर्ति के साथ–साथ बाहरी समाज के साथ भी हस्तनिर्मित वस्तुओं की बिक्री करते हैं। जिसमें आदिवासी स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैण्ड की जनजातियों एवं टोडा जनजाति में स्त्रियाँ विभिन्न कलात्मक वस्तुओं का निर्माण कर अपने कौशल का परिचय देती हैं। यह कला उसके भावी जीवन साथी के चयन में निर्णायक भूमिका निभाती हैं।

कृषि के क्षेत्र में हल चलाने का कार्य पर भले ही पुरूषों का अधिकार हो लेकिन अन्य सभी कार्यों में स्त्रियाँ भाग लेती हैं। जनजातीय समाज में स्त्रियों के कृषि कार्यों में भागीदारी पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। लेकिन प्रौद्योगिकी के विकास के कारण स्त्रियों की भागीदारी मे गिरावट आयी है। लेकिन जनजातीय समाज में अभी प्रौद्योगिकी का इतना अधिक प्रवेश नहीं हुआ है। इसलिए कृषि क्षेत्र में स्त्रियों की भागीदारी अभी भी बनी हुई है।

जनजातीय स्त्रियाँ और युवागृह :–

भारत के लगभग सभी जनताजीय क्षेत्रों में द्विलिंगीय तथा एक लिंगीय युवागृह पाये जाते हैं। विविध नाम है यथा गोंड में 'घोटुल' भुइया में धांगरवासा, मुंडा और हो में 'गिटीओरा' भोटिआओं' में रंगबंग और उरांव में इसे धुमकुरिया कहते हैं। ये युवागृह जनजातीय संस्कृति के अहम हिस्से हैं जिनमें एक निश्चित आयु पूरी होने के साथ ही इनकी सदस्यता अनिवार्य हो जाती है। युवागृह गाँव के बाहर या जंगल के मध्य बनाया जाता है। यहाँ के सदस्यों को वरिष्ठ व्यक्ति जनजातीय रीति रिवाजों, परम्पराओं, सामाजिक अनुभवों, विविध कार्यों के साथ–साथ यौन संबंधों के बारे में अवगत कराया जाता है। घोटुल के युवकों को 'चेलिक' तथा लड़कियों को 'मोटियारी' नाम से संबोधित किया जाता है।

अगर चेलिक और मोटियारी एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं और उनमें प्रेम संबंध स्थापित हो जाता है तो उनका विवाह करा दिया जाता है किसी भी लड़की को अपना मनपसंद वर युवागृह में चुनने की छूट होती है। यहाँ यौन संबंध बनाना वर्जित है। घोटुल किसी तरह के बाहर विवाह से पूर्व यौन संबंध स्थापित हो जाने पर कोई विशेष प्रतिबंध नहीं रहता। गर्भवती मोटियारी अपने प्रेमी चेलिक का नाम बदला देती है और दोनों का विवाह करा दिया जाता है। यद्यपि घोटुल लड़कों तथा लड़कियों को अनुशासन तथा आताकारिता के लिये प्रशिक्षित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।

धार्मिक क्षेत्र में स्त्रियाँ :–

जनजातीय समाज में धार्मिक क्षेत्र में स्त्रियों की स्थिति में पुरूषों की अपेक्षा निम्न रही है। पुरोहिताई का पद पुरूषों तक ही सीमित तथा नियंत्रित है। जिन जनजातियों में स्त्रियों की स्थिति सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में सम्मानित है वहाँ पर भी धार्मिक मामलों में उनका स्थान गौंण है। जैसे संथाल स्त्रियाँ समाज की सामुदायिक पूजा में भाग नहीं ले सकती। यह अधिकार मात्र पुरूषों तक सीमित है। इसी प्रकार डफला जनजाति में स्त्रियाँ धार्मिक उत्सवों का अवलोकन तो कर सकती हैं लेकिन उनकी भागीदारी निषिद्ध है। परन्तु कुछ जनजातियों जैसे असोम की लेप्चा जनजाति में 'स्त्री पुरोहित' का चलन विद्यमान है। लेप्चा जनजाति में माना जाता है कि स्त्रियाँ तंत्र–मंत्र के द्वारा रोगी व्यक्ति का उपचार करने एवं शत्रु का नाश करने में निपुण होती हैं। संथालों में भी स्त्रियों को जादुई विद्या में निपुण माना जाता है। इन सबके बावजूद पुरूषों का धार्मिक वर्चस्व दिखाई पड़ता है।

जनजातीय समाजों में स्त्रियों पर अत्याचार :–

जहाँ एक ओर जनजातीय समाजों में स्त्रियों की उच्च प्रस्थिति के उपर्युक्त उदाहरण प्रस्तुत किये गय हैं, वहीं दूसरी ओर कतिपय जनजातियों में स्त्रियों के साथ मारपीट तथा अन्य प्रकार की हिंसा के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में जनजातीय स्त्रियाँ अपने पति के दुर्व्यवहार से असंतुष्ट होकर अपने माता–पिता के घर आ जाती हैं। ऐसी स्थिति में जो दहेज वह विवाह के समय साथ लाई है उसे वापिस लौटाया जाता है। इस प्रकार परवर्ती परिप्रेक्ष्य में जनजातीय समाजों में स्त्रियों की स्थिति में सुधार की अपेक्षा गिरावट आई है। लिंग अनुपात घटा है। बाहरी समाजों की कतिपय कुप्रथाओं का चलन जनजातीय समाजों में बढ़ा है। शिक्षा का प्रसार यद्यपि हुआ है परन्तु वांछित नहीं। स्त्री पुरूष समानता के स्तर में कमी आई है तथा स्त्रियों का शोषण बढ़ा है। यद्यपि सरकारों द्वारा विकास संबंधी कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। परन्तु प्रचार व प्रसार के अभाव में बेमानी है और जनजातीय समाजों में भी स्त्रियों की स्थिति निम्न सोपानों के सभ्य समाजों की स्त्रियों की स्थिति के अनुरूप बनती जा रही है।

संदर्भ ग्रंथ –

1–भारतीय जनजातियां उप्रेती डॉ.हरिश्चन्द्र, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी,जयपुर(1997)

2–सामाजिक मानवशास्त्र गुप्ता एम.एल. एवं शर्मा डॉ.डी.डी साहित्यभवन,पब्लिकेशन,आगरा(1997)

3–Indian Anthropology Hasnain Nadeem NCERT

4–An Indroduction to Social Anthropology Majoomdar D.N., Madan T.N. Mayur books (2018)